न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 348/2023
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कुलदीप सिंह पुत्र स्व. श्री सरजीत सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. कशमीर पुत्र स्व. श्री करतार सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मनजीत कौर पुत्री स्व. श्री करतार सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. परमजीत कौर पुत्री स्व. श्री करतार सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सुखविन्द्र कौर पत्नी स्व. श्री दर्शन सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. रणवीर कौर पुत्री स्व. श्री दर्शन सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. प्रदीप सिंह पुत्र स्व. श्री दर्शन सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. तेज कौर पत्नी स्व. श्री गुरदेव सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. हरजिन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गुरदेव सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गुरदेव सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. जसपाल कौर पुत्री स्व. श्री गुरदेव सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:54 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री प्रिंस मिढ़ा, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 20.02.2024

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

लगातार --2

वादी कुलदीप सिंह ने प्रतिवादीगण कशमीर सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का चाचा, प्रतिवादी सं. 2 व 3 वादी की बुआ, प्रतिवादी सं. 4 व 7 वादी की चाची, प्रतिवादी सं. 5, 6, 8, 9 व 10 वादी के चचेरे भाई-बहिन है जो कि एक सयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 5,6,8,9,10 की स्व. दादी, प्रतिवादी सं. 4 व 7 की स्व. सास, प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की स्व. माता के नाम से तहसील संगरिया के चक 18 एम.जे.डी. के खाता सं. 28/16 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.771 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। उक्त बंटवारा में प्रतिवादी सं. 1 ता 6, 8 ता 10 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपने हक का परित्याग मौखिक रूप से वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। इसलिये प्रतिवादी सं. 1 ता 6, 8 ता 10 अब उक्त भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 को घरू तौर पर बंटवारा में प्राप्त विरासतन कृषि भूमि निम्न प्रकार से प्राप्त हुई हैं :-

(क) **वादी कुलदीप सिंह पुत्र स्व. श्री सरजीत सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**

तहसील संगरिया के चक 18 एम.जे.डी. के खाता सं. 28/16 जमाबन्दी सम्वत 2071-74 में 1.771 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 7 तेज कौर पत्नी स्व. श्री गुरदेव सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:54 IST
Reason: SelfAttested

लगातार --3

तहसील संगरिया के चक 18 एम.जे.डी. के खाता सं. 28/16 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.771 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 ता 9 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 9 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 9 टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 10 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 11 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा चक 18 एम.जे.डी. के खाता सं. 28/16 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 10 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 10 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 5,6,8,9,1[illegible] स्व. दादी, प्रतिवादी सं. 4 व 7 की स्व. सास, प्रतिवादी सं. 1 ता 3 [illegible] स्व. माता के नाम से तहसील संगरिया के चक 18 एम.जे.डी. के खाता [illegible] 28/16 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.771 है. कृषि भूमि [illegible] रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 10 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित

लगातार --4

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.03.14 17:03:5
Reason: SelfAttested

कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 5,6,8,9,10 की स्व. दादी, प्रतिवादी सं. 4 व 7 की स्व. सास, प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की स्व. माता गुरनाम कौर पुत्री श्री चनन सिंह पत्नी श्री करतार सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 18 एम.जे.डी. के खाता सं. 28/16 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.771 है. कृषि भूमि में से वादी को 1/2 हिस्सा का तथा प्रतिवादी सं. 7 को 1/2 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. गुरनाम कौर पुत्री श्री चनन सिंह पत्नी श्री करतार सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.03.14 17:03:54 IS
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 348/2023

कुलदीप सिंह पुत्र स्व. श्री सरजीत सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कशमीर पुत्र स्व. श्री करतार सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)

2. मनजीत कौर पुत्री स्व. श्री करतार सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)

3. परमजीत कौर पुत्री स्व. श्री करतार सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)

4. सुखविन्द्र कौर पत्नी स्व. श्री दर्शन सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)

5. रणवीर कौर पुत्री स्व. श्री दर्शन सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)

6. प्रदीप सिंह पुत्र स्व. श्री दर्शन सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)

7. तेज कौर पत्नी स्व. श्री गुरदेव सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)

8. हरजिन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गुरदेव सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)

9. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गुरदेव सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)

10. जसपाल कौर पुत्री स्व. श्री गुरदेव सिंह जाति तरखान निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)

11. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kum
Meena
Date: 2024.03.14 17:03:54 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :– 20.02.2024

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादीया मिन जामिन मुदई **श्री प्रिंस मिढ़ा** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 10 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 5,6,8,9,10 की स्व. दादी, प्रतिवादी सं. 4 व 7 की स्व. सास, प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की स्व. माता गुरनाम कौर पुत्री श्री चनन सिंह पत्नी श्री करतार सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 18 एम.जे.डी. के खाता सं. 28/16 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.771 है. कृषि भूमि में से वादी को 1/2 हिस्सा का तथा प्रतिवादी सं. 7 को 1/2 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. गुरनाम कौर पुत्री श्री चनन सिंह पत्नी श्री करतार सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X........ निल .....X...... मुब्लिक ....X.........निल .....X...... बाबत् .....X....... निल.....X......... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....X..........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 20.02.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),

संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:54 IST
Reason: SelfAttested